न्यायालय उपखण्ड अंधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :–मुकेश कुमार चौधरी, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली)

प्रकरण संख्याः– 26/दावा/2018

1. जगदीश आयु 65 वर्ष आ0 डूंगा जाति कीर निवासी ग्राम बाल तहसील हिण्डोली, जिला–बून्दी (राज0)

वादी

बनाम

1. राजस्थान राज्य द्वारा श्रीमान तहसीलदार साहब, हिण्डोली जिला बून्दी राज0

प्रतिवादी

दावा पत्र अंतर्गत :– धारा 88, 89, 188 आर0टी0एक्ट

वादी अभिभाषक :– श्री शम्भूदयाल शर्मा
प्रतिवादी – पेरोकार सरकार

निर्णय दिनांक :– 26/02/2021

निर्णय

दावा पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण ने दावा पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर0टी0एक्ट प्रस्तुत कर अंकन किया कि कृषि भूमि खसरा संख्या 401/491 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा वाके ग्राम बाल पटवार मण्डल बडगांव तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में स्थित है जो वादी के नाम गैर खातेदारी में दर्ज है। भूमि की जमाबंदी संलग्न वादपत्र है। वादपत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि वादी को 09.10.1977 को काश्त हेतु आंवटित की गई थी और आंवटन आदेश की पालना में वादी को दो गवाह के समक्ष पटवारी, गिरदावर द्वारा भूमि खसरा संख्या 401/491 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा पर कब्जा संभलाया गया था। तब से वादी वादग्रस्त भूमि पर निरन्तर काश्त करता चला आ रहा है। वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि पर वादी ने आंवटन की दिनांक व भूमि पर कब्जा संभलाये जाने के बाद उक्त भूमि को उबड–खाबड से समतल कर काफी पैसा लगा कर भूमि को कृषि उपज योग्य बनाया है और उक्त वादग्रस्त भूमि पर शांतिपूर्वक काबिज काश्त चला आ रहा है। वर्तमान में वादी ने उक्त वादग्रस्त भूमि पर गेहूं की फसल बो रखी है। वादी ने उक्त आंवटित भूमि की सम्पूर्ण राशियां जमा करवा दी है। इस प्रकार वादी की तरफ उक्त भूमि की कोई राशि बकाया नही है और वादी द्वारा आंवटन शर्तो की पूर्ण पालना की गई है। वादी आंवटन की दिनांक से अब तक निरन्तर उक्त भूमि पर आवंटन शर्तो की पालना करते हुये काबिज काश्त चला आ रहा है। वादी के आंवटन को 40 वर्ष हो चुके है वादी भूमि पर काबिज काश्त है और भूमि की सम्पूर्ण राशियां जमा करवा दी है इसके बावजूद भी वादग्रस्त भूमि पर वादी को

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली (बून्दी)

तेदारी में दर्ज नही किया गया है जबकि आवंटन के पुराने नियमों के अनुसार आंवटन से 10 वर्ष बाद आंवटी बाई आपरेशन लॉ स्वतः ही खातेदार बन जाता है। राज्य सरकार के द्वारा नियमों में शिथिलता बरतते हुये अब आंवटन से 3 वर्ष बाद खातेदारी दिये जाने के प्रावधान किये हुये है। राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी का इन्द्राज करने का दायित्व राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों का है। वादी को आंवटन के 40 साल बाद भी वादग्रस्त भूमि पर खातेदार दर्ज नही करना राजस्व कर्मचारियों की अकर्मण्यता व कर्तव्यों के प्रति लापरवाही का धोतक है। वादपत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि पर वादी ने वर्तमान में गेहूं की फसल बो रखी है एवं भूमि के चारों तरफ जानवरों से सुरक्षा हेतु खाई लगा कर तारबाडा कर रखा है तथा भूमि की सिंचाई हेतु बोरिंग करवा रखा है। इस प्रकार वादी वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादी की जानकारी में निरन्तर निर्बाध रूप से बिना किसी रोक टोक के काश्त करता चला आ रहा है। वादी आंवटन की दिनांक 09.10.1977 से भूमि पर काबिज चले आने से विरोधी आधिपत्य के आधार पर भी उक्त भूमि का खातेदार आसामी बन चुका है। राज्य सरकार के विरूद्व खातेदारी अधिकार की घोषणा की मियाद 30 वर्ष से भी अधिक अवधि हो जाने से वादी एडवर्स पजेशन के आधार पर भी उक्त भूमि का खातेदार बन चुका है। राज्य सरकार का उक्त भूमि पर वापस कब्जा लेने का अधिकार सदैव के लिए अवधि बाधित होकर नष्ट हो चुका है इस प्रकार वादी उक्त वादग्रस्त भूमि को अपने नाम खातेदारी में दर्ज कराने का अधिकारी है। वादी ने वादग्रस्त भूमि पर खातेदारी प्राप्त करने हेतु समय–समय पर राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों से निवेदन किया लेकिन राजस्व कर्मचारियों की उदासीनता व अनुचित लाभ प्राप्त करने की चाहत में वादी को आज दिन तक भी खातेदारी नही दी है। अन्तिम बार दिनांक 20.11.2017 को तहसीलदार हिण्डोली से वादग्रस्त भूमि पर वादी को खातेदार दर्ज किये जाने का निवेदन किया जिस पर प्रतिवादी ने आंवटन वर्षों पुराना हो जाने के कारण राजस्व केम्पों के समय आवेदन करने की हिदायत देकर लोटा दिया और खातेदारी देने से इंकार कर दिया इस कारण वादी को उक्त वाद का वाद कारण अन्तिम रूप से 20.11.2017 को उत्पन्न हुआ है जो निरन्तर जारी है। वादी को अधिकार प्राप्त है कि वादी आंवटन दिनांक 09.10.1977 से वादग्रस्त भूमि खसरा संख्या 401/491 रकबा 4.बीघा 10 बिस्वा वाके ग्राम बाल पर विरोधी आधिपत्य के आधार पर व आंवटन से खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवावे एवं राजस्व रिकॉर्ड वादग्रस्त भूमि खसरा संख्या 401/491 पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवा कर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज गैर खातेदार के अंकन को विलोपित करवा कर राजस्व रिकॉर्ड में गैर खातेदारी के स्थान पर खातेदार का अंकन करवावें। वाद में घोषणा का अनुतोष चाहा है और घोषणा के वाद में राज्य सरकार के विरूद्व वाद दायर करने से पूर्व दो माह की अवधि का नोटिस दिया जाना आवश्यक है लेकिन प्रतिवादी के अधीनस्थ कर्मचारी पटवारी वादी को वादी की भूमि पर से बेदखल करने की धमकी देने से वादी का वाद आवश्यक प्रकृति का हो गया है इस कारण नोटिस दिये बिना वाद प्रस्तुत करने की अनुमति के प्रार्थना पत्र 80(2)जा0दी0 के साथ यह वादपत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। वादग्रस्त भूमि ग्राम बाल पटवार मण्डल बडगांव तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में स्थित होने से श्रीमान को उक्त वाद का श्रवणाधिकार प्राप्त है।वाद निर्धारित न्याय शुल्क तलबाने पर प्रस्तुत है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली (बून्दी)

अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि वादी का वाद स्वीकार किया जाकर निम्न आशय की डिक्री प्रदान की जावें – वादपत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि 401/491 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा वाके ग्राम बाल पटवार मण्डल बडगांव तहसील हिण्डोली पर वादी को खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में वादी का नाम खातेदार के कॉलम में दर्ज किया जावें। और राजस्व रिकॉर्ड में अंकित गैर खातेदारी के अंकन को विलोपित किया जावें साथ ही वादी के कब्जे काश्त में दखलंदाज नही करने हेतु प्रतिवादी को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे व अन्य न्यायोचित सहायता प्रदान की जावें।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जर्ये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी पेरोकार सरकार की ओर से जवाब पेश कर कथन किया कि वाद पत्र की चरण संख्या 1 मुताबिक रेकार्ड स्वीकार है। वादपत्र की चरण संख्या 2 लगायत 5 अस्वीकार, वादी स्वयं सिद्व करें। वाद पत्र की चरण संख्या 6 अस्वीकार, एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी नही दी जा सकती। वाद पत्र की चरण संख्या 7 लगायत 9 अस्वीकार, वादी स्वयं सिद्व करें। मुताबिक संलग्न जमाबंदी वादी जगदीश ग्राम बाल के खसरा नम्बर 401/491 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा पर गैर खातेदार दर्ज रेकार्ड है। रिपोर्ट पटवारी हल्का बडगांव दिनांक 18.07.19 अनुसार उक्त भूमि पर वादी का कब्जा काश्त है किसी तरह की राजस्व बकाया के संदर्भ में तहसील टी0आर0ए0 की रिपोर्ट अपेक्षित है।

वादी द्वारा अपने वाद पत्र के समर्थन में स्वयं का शपथ पत्र PW-1 पेश किया, छायाप्रति नकल आवंटन आदेश दिनांक 09.10.1977 आंवटी जगदीश वल्द डूंगा कीर, खसरा नम्बर 491 व 404, प्रमाणित प्रति नकल भू–प्रबंधन विभाग जमाबंदी संवत 2028 से 2047 व खसरा गिरदावरी सम्वत 2034 ग्राम बाल खसरा नम्बर 401, नकल जमाबंदी ग्राम बाल सम्वत 2070 से 2073 खाता नम्बर 158 पेश किये है।

हमने वकील वादी की बहस सुनी। वकील वादी बहस के दौरान वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि वादग्रस्त भूमि खसरा संख्या 491 में से रकबा 4.10 बीघा दिनांक 09.10.1977 को ग्राम बाल की वादी को विधिवत आंवटन हुई है। उक्त भूमि वर्तमान में प्रार्थी की गैर खातेदारी में दर्ज होने से वादी को सरकार द्वारा मिलने वाली कृषि योग्य सुविधाओं से वंचित रहना पड रहा है जबकि वादी ने उक्त भूमि को आंवटन से वर्षो पहले काफी रकम खर्च कर नातोड से आबाद कर कृषि योग्य भूमि बनाकर निरन्तर काबिज काश्त चला आ रहा है। उक्त भूमि की एवज में नियमानुसार शुल्क वादी अदा कर चुका है फिर भी यदि भूमि की लागत निकलती है तो वादी जमा करवाने को तैयार है। वादी अत्यन्त गरीब काश्तकार है। जोत भूमि पर काश्त कर अपना व अपना परिवार का पालन पोषण करता चला आ रहा है। वादी उक्त भूमि का कब्जा मुखालफाना के आधार पर खातेदार बन चुका है। राजस्व रिकोर्ड में अपना नाम खातेदार के रूप में कानूनी रूप से दर्ज करवाने का अधिकारी है। यदि प्रतिवादी द्वारा वादी को उक्त भूमि से बेदखल कर दिया गया तो वादी को अपूर्णीय क्षति होगी जिसका प्रतिवादी को कोई हक व अधिकार नही। अतः वाद वादी स्वीकार फरमाया जाकर वादी को खातेदार के रूप में अंकित किया जावें एवं प्रतिवादी को पाबंद किया जावे कि वादी को बेदखल नही करे व कब्जे काश्त में कोई हस्तक्षेप नही करें।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली (कूण्दी)

प्रकरण में वकील वादी द्वारा की गई बहस के दौरान प्रस्तुत सम्पूर्ण तर्को एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों/साक्ष्यों का अवलोकन कर गहनता पूर्वक मनन किया गया। प्रकरण में तनकीवार विवेचन इस प्रकार है–

तनकी संख्या –1

आया वादग्रस्त आराजी पर वादी स्वयं को खातेदार घोषित करवाने का अधिकारी है। उक्त तनकी के सम्बन्ध में वादी द्वारा प्रस्तुत आंवटन आदेश की छायाप्रति के सम्बन्ध में कार्यालय रिकोर्ड का अवलोकन किया गया। मुताबिक रिपोर्ट दिनांक 09.10.1977 को वादी जगदीश वल्द डूंगा जाति कीर निवासी बाल को ग्राम बाल के खसरा नम्बर 491 में से रकबा 4.10 बीघा भूमि का आंवटन हुआ था। उक्त आंवटित भूमि पर कब्जे काश्त बाबत खसरा गिरदावरी सम्वत 2034 में भूमि पर काश्त करना अंकित है साथ ही वाद पत्र के समर्थन में प्रस्तुत स्वयं का शपथ पत्र पी0डब्लू0–1 में अंकित तथ्यों से भी भूमि वादी को आंवटन होकर भूमि पर वादी का ही कब्जा काश्त होना अंकित है। साथ ही मुताबिक रिपोर्ट पटवारी/जवाब सरकार से विवादित भूमि पर वादी का गैर खातेदार की हैसियत से कब्जा काश्त होना अंकित है। उपरोक्त सम्पूर्ण तथ्यों से विवादित भूमि वादी को विधिवत आंवटन होना व लगातार कब्जा काश्त होने व आंवटन शर्तो की पालना करने से स्वयं को खातेदार घोषित करवाने का अधिकारी है। अतः उक्त तनकी वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या–2

आया वादग्रस्त आराजी पर वादी प्रतिवादी के विरूद्व स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है। उक्त तनकी के सम्बन्ध में वादी द्वारा प्रस्तुत आंवटन आदेश जिसके आधार पर उसने अधिकार घोषणा चाही है वह आंवटन मुताबिक रिपोर्ट पटवारी के खारिज नही हुआ है। वादी आंवटन भूमि पर आंवटन के समय से ही काबिज काश्त चला आ रहा है एवं आंवटन शर्तो की पालना करने से वह प्रतिवादी के विरूद्व स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है। तनकी संख्या 1 वादी के पक्ष निर्णित की जा चुकी है जिससे भी वादी प्रतिवादी के विरूद्व स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः यह तनकी भी वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

उक्त तनकीवार विवेचन के आधार पर वाद वादी स्वीकार किये जाने योग्य होने से स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि खसरा संख्या 401/491 रकबा 4.10 बीघा वाके ग्राम बाल, पटवार मण्डल बडगांव जो कि वादी को आंवटित हुई है, पर वादी जगदीश वल्द डूंगा कीर जाति कीर निवासी बाल को खातेदार घोषित किया जाता है। वादी की ओर यदि भूमि बाबत कोई राजकीय राशि बकाया हो तो जमा करने के उपरान्त रिकोर्ड में अंकन किया जावें। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फेसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दपतर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश कुमार चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौली (करौली)
हिण्डौली